मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 92 जोड़ों का विवाह संपन्न

शामली (दैनिक हाक): रीतू रस्तोगी, जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद शामली में वंदना गार्डन, थानाभवन में विकासखंड थानाभवन के 87, नगर पंचायत थानाभवन के ०3, जलालाबाद के ०2, अर्थात कुल 92 जोडो का विवाह/निकाह पूर्ण विधि-विधान के साथ सकुशल सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर एमएलसी मोहित बेनीवाल एवं पूर्व कबिनेट मंत्री सुरेश राणा के अलावा ब्लॉक प्रमुख पति थानाभवन दीपक कोरी , बृजेन्द्र शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी थानाभवन, श्रीमती रीतू रस्तोगी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम जिला प्रशासन द्वारा मा० जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह, बुके, शॉल आदि भेंट किये गये। पूर्वमंत्री श्री सुरेश राणा जी द्वारा उपस्थित नव दम्पत्तियों को आर्शीवाद देते हुए उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की गयी, उन्होने बताया कि इस योजना में सरकार द्वारा रू० ०1.०० लाख प्रति जोडे हेतु निर्धारित किये गये है, जिनमें से रू० 64,०००/- की धनराशि कन्या के बैंक खाते में समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी जायेगी, रू० 21,०००/- की धनराशि में शासन द्वारा निर्धारित वैवाहिक उपहार सामग्री, वस्त्र आदि वर-वधू को दिये जायेंगे एवं रू० 15०००/- की सीमा के अन्दर मैरिज हॉल, टेण्ट, भोजन, सस्कार, शादी/निकाह आदि की समूचित हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। एमएलसी श्री मोहित बेनीवाल जी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के आयोजन से राहत देना है।उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम के अवसर पर एमएलसी मोहित बेनीवाल एवं पूर्व केबिनेट मंत्री जी द्वारा नवदम्पत्ति जोडो को विवाह प्रमाण पत्र वितरित किये गये।और कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कोई भेद-भाव न करते हुए सभी वर्गो अथवा धर्म के पात्र व्यक्तियों को ही लाभार्थीपरक योजना में लाभ दिलाये जाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कहा गया कि सरकार की मंशानुसार प्रशासन द्वारा समाज के सबसे निर्धन एवं जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इस वर्ष से प्रश्नगत योजना में बायोमैट्रिक/फेसियल उपस्थिति के उपरान्त ही जोडो का विवाह/निकाह सम्पन्न कराया जा रहा है। तदोपरान्त उनके द्वारा वर-वधू को लड्डू एवं ड्राईफ्रूट्स की टोकरियां वितरित की गयी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए रू० 3.०० लाख की वार्षिक सीमा तक के पात्र व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन कराते हुए कहा गया कि बिटियां की शादी करना सौभाग्य का कार्य है।

आज के समारोह में 68 हिन्दू एवं 24 मुस्लिम जोडों का विवाह सम्पन्न कराया गया। अन्त में वर-वधू को देय निर्धारित सामग्री का वितरण करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सभी का धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया

ठेकेदार की हठधर्मिता से बिगड़ी बात, धरने पर बैठे श्रद्धालु

कैराना (दैनिक हाक): कस्बे के मुख्य मार्ग पर नगरपालिका परिषद कैराना द्वारा बनाए जा रहे डिवाइडर में प्राचीन पीयूष अयन आश्रम के सामने कट नहीं दिए जाने पर श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। श्रद्धालु नपा ठेकेदार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए आश्रम की तालाबंदी करके धरने पर बैठ गए। बाद में एसडीएम कैराना के डिवाइडर में कट दिए जाने के आश्वासन पर श्रद्धालुओं ने धरना समाप्त किया। वहीं, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर महामंडलेश्वर राम बालक दास व योगी डॉ. गौतम नाथ ने भी मौके पर पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की।

नगरपालिका परिषद कैराना के द्वारा कस्बे के मुख्य मार्ग पर डिवाइडर निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वहीं, कस्बे के श्रद्धालु प्राचीन पीयूष अयन आश्रम के सामने डिवाइडर कट दिए जाने की मांग कर रहे है। आरोप है कि नगरपालिका के ठेकेदार द्वारा डिवाइडर निर्माण हेतु आश्रम के सामने से भी जेसीबी मशीन से सड़क की खुदाई करा दी। गुरुवार सुबह डिवाइडर में कट नही दिए जाने की सूचना से श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। कुछ देर में ही दर्जनों महिला व पुरुष श्रद्धालु आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने आश्रम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। श्रद्धालुओं ने ठेकेदार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। श्रद्धालुओं का आरोप था कि धार्मिक स्थल के सामने आवागमन के लिए कट नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि पास में ही स्थित निजी कॉलोनी के सामने कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए कट देने की योजना है। श्रद्धालुओं का कहना था कि डिवाइडर बनने से आश्रम आने-जाने में परेशानी होगी। वहीं, मामले की जानकारी मिलने पर अयोध्या धाम के महामंडलेश्वर राम बालक दास एवं योगी डॉ. गौतम नाथ भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विकास कार्यों के दौरान प्राचीन धार्मिक स्थलों की गरिमा के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर आवागमन प्रभावित होने से श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसडीएम कैराना शिवाजी यादव ने नपा प्रशासन से वार्ता करके समस्या का निराकरण कराया। एसडीएम के डिवाइडर में कट दिए जाने के आश्वासन पर श्रद्धालुओं ने अपना धरना समाप्त किया। इस दौरान भाजपा नेता अनिल चौहान, सभासद शगुन मित्तल, भाकियू नेता ईनाम चौधरी उर्फ कालू, संपूर्ण उत्तर-प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष प्रदीप गोयल, वरिष्ठ पदाधिकारी संजय राजवंशी व

- कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित प्राचीन पीयूष अयन आश्रम के सामने डिवाइडर कट दिए जाने की मांग कर रहे थे श्रद्धालु
- एसडीएम कैराना के डिवाइडर में कट दिए जाने के आश्वासन पर माने श्रद्धालु,
- महामंडलेश्वर राम बालक दास व योगी डॉ. गौतम नाथ ने ठेकेदार के रवैया पर जताई नाराजगी

संजय कंबोज, सभासद शगुन मित्तल एडवोकेट, सभासद पति सागर गर्ग, चौधरी गुरदीप सिंह, पप्पू कंबोज, बिट्टू वर्मा, विक्की प्रधान, सुशील पंडित, अनुज, बाला व मुनेश समेत अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

सभासद ने की इण्टर कॉलिज के सामने कट दिए जाने की मांग

धरनास्थल पर मौजूद नगरपालिका परिषद के वार्ड संख्या-15 के सभासद शगुन मित्तल एडवोकेट ने पब्लिक इंटर कॉलेज के सामने डिवाइडर में कट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पब्लिक इण्टर कॉलिज के प्रांगण में प्रतिवर्ष विशाल कांवड़ सेवा शिविर आयोजित किया जाता है, इसलिए शिवभक्तों की सुविधा के दृष्टिगत वहां पर भी डिवाइडर में कट की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, मौके पर उपस्थित नगरपालिका के अवर अभियंता राहुल कुमार ने सभासद को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अभियुक्त को रिमाइंड पर लेकर अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किये

शामली (दैनिक हाक): कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नाला-ककड़ीपुर रजवाहा पटरी पर हुई युवक की हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद किया है

थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाला-ककड़ीपुर रजवाहा पटरी पर मोनू उर्फ गुल्लू पुत्र सुरेन्द्र, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम ककड़ीपुर, थाना रमाला, जनपद बागपत का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कांधला पुलिस, फील्ड यूनिट एवं उच्चाधिकारीगण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। शव के निरीक्षण में मृतक के शरीर पर चोटों के निशान एवं सिर में गोली लगने का घाव पाया गया। पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता सुरेन्द्र की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। स्वाट/सर्विलांस टीम शामली एवं थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक ०1.०8.2०26 को ही घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण कार्तिक एवं ओमपाल को गिरफ्तार किया

भाई और बहन के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया

शामली (दैनिक हाक): स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों ने एक-दूसरे को राखी बांधकर व मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। साथ ही विद्यार्थियों ने पेड़ पौधों को भी राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया।

इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने प्यारी बहना नामक शीर्षक पर निबंध लिखकर जनमानस को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लिखा पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध ऑक्सीजन देकर जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर वातावरण को शुद्ध व स्वस्थ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जी, औषधि, फर्नीचर, कागज आदि बनाने में भी काम आते हैं स्वास्थ्य पर्यावरण स्वस्थ मानव जीवन का आधार है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि वर्तमान समय में आधुनिकता की दौड़ में जिस प्रकार वनों का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है यह मानव जीवन के लिए खतरा है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण नहीं दे पाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब का कर्तव्य है कि हम स्वयं के साथ-साथ दूसरों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करें और पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक पॉलिथीन का प्रयोग न करने का संकल्प भी विद्यार्थियों ने लिया।

कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती उज़्मा जैदी ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन बहन भाई के अटूट प्रेम व विश्वास का प्रतीक है जिसे प्रत्येक वर्ष भारत में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जिस प्रकार बहने अपने भाई को राखी बांधकर रक्षा करने का वचन लेती है उसी प्रकार हम सबको प्रकृति को बहन भाई की तरह ही प्यार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने व कराने का संकल्प लेना चाहिए। जिससे चारों तरफ स्वस्थ वातावरण व हरियाली हो, यही रक्षा बंधन का सर्वोत्तम संदेश है जिसका पालन करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है।

थाना फतेहपुर क्षेत्र में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला, लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में आक्रोश

फतेहपुर (दैनिक हाक): थाना फतेहपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात रसूलपुर अड्डे पर चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदारों ने थाना फतेहपुर में लिखित शिकायत देकर घटनाओं के खुलासे की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, रसूलपुर अड्डे पर ग्राम खेड़ी सिकोहपुर निवासी साकिब पुत्र सराफत की कबाड़ की दुकान का शटर उखाड़कर चोरों ने तांबा, एल्युमिनियम, कांटा, इन्वर्टर-बैटरी तथा करीब दो क्विंटल लोहा चोरी कर लिया। दुकानदार के अनुसार, इससे पहले भी चोर इसी दुकान को तीन बार निशाना बना चुके हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में भय का माहौल है।

वहीं, इसी के बराबर में स्थित जनता गैराज में भी चोरों ने नकब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्राम कालेवाला निवासी लुकमान पुत्र तुफैल की दुकान से चोर एल्टीनेटर, छह वॉशिंग मशीन, गीजर, फ्रिज के कंप्रेसर, दो बड़ी बैटरियां, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, कॉपर वायर सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित की ओर से भी थाना फतेहपुर में लिखित शिकायत दी गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र में इससे पहले भी चोरी की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर फैसल के यहां चोरों ने लाखों रुपये की चोरी की थी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा वाली गली में एक मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपये का सामान लेकर फरार हो गए थे। इसके अलावा मशरूम फैक्ट्री में भी लाखों रुपये के सामान की चोरी की घटना सामने आई थी। कमेशपुर हाइडिल के सामने स्थित एक शोरूम में भी चोर लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर चुके हैं।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर क्षेत्रीय लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के बजाय पुलिस का अधिक ध्यान वाहन चालान काटने पर दिखाई देता है। हालांकि, चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

अलग-अलग विवादों में लोक शांति भंग की आशंका पर गिरफ्तार

शामली (दैनिक हाक): पुलिस अधीक्षक शामली एन०पी० सिंह के आदेशानुसार जनपद शामली में लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु विवाद एवं फसाद की स्थिति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। थाना कैराना पुलिस द्वारा मौहल्ला दरबार खुर्द निकट चम्मच फैक्ट्री में विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचकर खालिद पुत्र इस्लाम एवं अब्बास पुत्र वली को तहसीन पुत्र सलीम के साथ विवाद करते हुए धमकी देने एवं फसाद पर आमादा पाया गया। वहीं ग्राम मवी में पुराने विवाद को लेकर तासिम पुत्र इरशाद एवं अकरम पुत्र इरशाद द्वारा वादी अरमान पुत्र सलीम के परिजनों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करते हुए फसाद पर आमादा होने की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों को समझाने का प्रयास किया गया। स्थिति न संभलने एवं लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत चारों अभियुक्तों को धारा 17० बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर धारा 17०/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

उत्तर रेलवे

Invitation of Tender through E-Tendering (E-Procurement Systems)

Sr. Divisional Materials Manager, Northern Railways, Ambala Cantt-133001 for and behalf of the President of India, invites Tender through E-Procurement System (www.ireps.gov.in) for the supply of the below item.

S. N.	Tender No.	Description	Qty.	Tender Closing date & Time	EMD (Rs.)
1	98265660	संलग्न विनिर्देशों के अनुसार पार्सल कार्यालय के लिए पार्सल स्कैनर मशीन की आपूर्ति, स्थापना और चालू करना। (निरीक्षण एजेंसीः टीपीआई, निरीक्षण चरणः चरणों की संख्याः 0) (यूवीएएम लिंकिंगः (वस्तु प्रकारः माल (आपूर्ति)	05 Nos	25.09.2026 एवं 11.00 hrs	869170

Note: 1) Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details. 2) No manual offer will be entertained.
E-Tender Notice No. 98265660 Dated: 27.08..2026 **2970/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 6वां तल, बी बिल्डिंग, गंगा टुनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014, शाखा कार्यालय: 2बी, 1617, दिल्ली रोड, महाराजा पैलेस के पास, अहमद बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री सरफैसी अधिनियम के अन्तर्गत

ई-नीलामी बिक्री सूचना सिक्योरिटाइजेशन और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सार्वजनिक को और विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक/ बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जो गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बंधक रखी गई हैं, (जो कि 'सुरक्षित ऋणदाता' के रूप में अधिनियम के तहत संदर्भित किया जाता है), जिनकी कब्जा अधिकारिता सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 8 और 9 के साथ प्राप्त की गई है, और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के बाद, उन्हें बेचा जाएगा।

बिक्री के विवरण: सुरक्षित संपत्तियाँ 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जैसा है', और 'जो कुछ है वही है' के आधार पर 16.09.2026 को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। यह सार्वजनिक को सूचित किया जाता है कि बिक्री https://www.bankeauctions.com. वेबसाइट पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

बिक्री के विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया GHFL के/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें: www.grihumhousing.com.

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम [ए]	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि [बी]	कब्जे का प्रकार [सी]	सम्पत्ति का विवरण [डी]	आरक्षित मूल्य [ई]	ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) [एफ]	ईएमडी प्रस्तुत करने की तिथि [जी]	वृद्धि बोली [ए]	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय [आई]	नीलामी की तिथि और समय [जे]	ज्ञात बंधन/कोर्ट मामले यदि कोई हों [के]
1.	ऋण संख्या: HL00540100000005053770 एवं HL00540100000005017417 नूर हसन (उधारकर्ता) सलमा दो मुर्सलिन (सह-उधारकर्ता)	सूचना दिनांक: 08-08-2025 कुल देय: रु. 859177.00/- (रुपये आठ लाख उनसठ हजार एक सौ सतहत्तर मात्र), जिसमें HL00540100000005053770 में बकाया रु. 201963.00/- तथा HL00540100000005017417/- में बकाया रु. 657214.00/- शामिल है, जो 08-08-2025 को देय है तथा वसूली होने तक क्रमशः 16.6% एवं 15.835% प्रति वर्ष की ब्याज दर सहित।	भौतिक	प्लॉट संख्या 87 के भाग का समस्त टुकड़ा एवं पार्सल, क्षेत्रफल 67.70 वर्ग गज, खसरा संख्या 512 से संबंधित, स्थित मौजा मनक मऊ, दराबादी नूर नगर कॉलोनी, सहारनपुर, सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में:-प्लॉट संख्या 87 का भाग; पश्चिम में:-प्लॉट संख्या 86 के युनुस का भाग; उत्तर में:-15 फीट चौड़ी गली; दक्षिण में:-प्लॉट संख्या 80.	रु. 750000.00/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)	रु. 75000/- (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)	15-09-2026 शाम 5 बजे से पूर्व	10,000/-	09.09.2026 को (प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक)	16.09.2026 को (प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाता/खरीदारों को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच स्वयं करें तथा अतिरिक्त शुल्क, बकाया राशि, और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों को स्पष्ट कर लें। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नीलामी प्रक्रिया से पहले इन सभी पहलुओं से संतुष्ट हैं। संपत्ति से संबंधित सभी कानूनी देनदारियाँ जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और अन्य बकाया राशि, यदि कोई हो, को सफल बोलीदाता द्वारा अदा किया जाएगा।

नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक पंजीकरण: इच्छुक बोलीदाता को पंजीकरण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इसके लिए वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड एडवांस में प्राप्त करेंगे, जो ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक है। पंजीकरण करने के लिए बोलीदाता को नीलामी सेवा प्रदाता C1 India Pvt Ltd से संपर्क करना होगा। सेवा प्रदाता का संपर्क विवरण: पता: प्लॉट नं 68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नंबर: 7291981124, 25, 26, ईमेल: Support@bankeauctions.com **सम्पर्क व्यक्ति: धरणी पी, ईमेल: dharani.p@c1india.com सम्पर्क नम्बर: 9948182222** । कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को **Earnest Money Deposit (EMD)** की राशि NEFT/RTGS/DD के माध्यम से **"GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED & AUCTION PROCEEDS A/C"**, बैंक **ICICI BANK LTD** में जमा करनी होगी। खाता संख्या: 091501000028 IFSC कोड: ICIC0000915 शाखा: ICICI Bank Ltd, पंचशील टेक पार्क, नियर गणपति चौक, 43/44 विमान नगर- 411014 यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **15.09.2026** तक जमा करनी होगी और बोलीदाता को **https//www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा, निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। पंजीकरण के बाद, बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति अपलोड करनी होगी और स्वयं प्रमाणित हार्ड कॉपी को निम्नलिखित पते पर भेजना होगा: **पता: 2B, 1617, दिल्ली रोड, महाराजा पैलेस के पास, अहमद बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001, मोबाइल नं.: +91 8281138143 ई-मेल आईडी: p.adith@grihumhousing.com, अधिक जानकारी के लिए: नीलामी के शर्तों और नियमों के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं: https://www.bankeauctions.com एवं www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें।**

यह सूचना 15 दिन (तीस) का नोटिस के रूप में माना जाए, जैसा कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को दिया गया है।

यदि किसी भी स्थिति में स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचारपत्र के प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर होता है, तो The Hawk में प्रकाशित अंग्रेजी समाचारपत्र की सामग्री को मान्य माना जाएगा।

तिथि: 28.08.2026 स्थान: सहारनपुर **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**